# CERTIFICATE OF REGISTRATION

## UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT OF XXI, 1860

**Registration No. S/** 62296 **/2008**

**I hereby certify that** चौ० जसवन्त सिंह मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी

**located at** 146 जसवंत कालोनी बुद्ध विहार फेस-2 दिल्ली **has been registered*under SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.**

**Given under my hand at Delhi on this** 26 **day of** मई **Two Thousand Eight.**

**Fee of Rs. 50/- Paid**

Balwant Singh

***(BALWANT SINGH)***
**REGISTRAR OF SOCIETIES**
**GOVT. OF NCT OF DELHI**
**DELHI**

**Seal**

**Registrar of Societies**
**Delhi**

****This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.***

Scanned by CamScanner

Amended as on 22/05/2017

Registrar of Society (NW)

# संशोधित

## संस्था का ज्ञापन पत्र

1 संस्था का नाम : "चौ0 जसवन्त सिंह मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी"

2 संस्था का कार्यालय : संस्था का पंजीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहेगा। वर्तमान में यह निम्न पते पर रहेगा :– 146, जसवंत कालोनी, बुद्ध विहार, फेस–2, दिल्ली,

3 कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण दिल्ली

Registrar of Society ★ District North-West ★

3. संस्था के उद्देश्य

संस्था के मुख्य उद्देश्य जिनके लिए इसका निर्माण हुआ, निम्नलिखित है:–

1 संस्था के सदस्यों व आम जनता में बंधुत्व, सहयोग, भाईचारा और राष्ट्र की भावना को बढ़ाना।

2 भारतीय संविधान में प्रदत्त सामाजिक न्यास, शिक्षा और आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास करना।

3 प्राइमरी, प्री–प्राइमरी, सैकेंड्री, सीनियर सेकेंड्री व उच्च शिक्षा के शिक्षालय (स्कूल) स्थापित करना, उन्हें हर प्रकार की मदद देना, रूग्ण शिक्षालयों का अधिग्रहण करना तथा संस्था द्वारा संचालित स्कूलों में उत्तम शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

Pradeep Kumar

Gaur



Scanned by CamScanner

Amended as on 22/09/2017

4 टंकण (टाईपिंग), शॉर्टहैंड, कला, कार्पेट, पेंटिंग, मॉडलिंग, संगीत, नृत्य, शारीकि शिक्षा और योग आदि की शिक्षा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना व इन प्रशिक्षण केन्द्रों को आर्थिक मदद करना व उनका सुचारू रूप से संचालन करना।

5 शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी विषय पर अनुसंधान करना व इसके लिए विभिन्न कार्ययोजना व कार्यक्रम चलाना जैसे प्रौढ़ शिक्षा, निबंध प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी, जलसे, कांफ्रेंस वे सेमीनार आदि।

6 संस्था द्वारा संचालित संस्थानों के छात्रों व संस्था के सदस्यों के लिए वस्त्र, भोजन, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, चिकित्सा, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, वाचनालय, हॉस्टेल, खेल–कूद मैदान, स्वीमिंग पूल और अन्य सम्बद सुविधायें उपलब्ध कराना।

7 संस्था के माध्य से बस्ती/कालोनियों में गरीब वर्ग के बच्चों को निःशुल्क व्यवायिक शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान करना। बस्ती में स्कूल, पुस्तकालय, वसचनालय आदि स्थापित करवाना।

8 समाज के अन्दर शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान देना। शैक्षणिक संस्था स्थापित करना एवं संचालन करना।

9 शिक्षित नौजवानों को प्रशिक्षण दिलवाने में सहायता करना एवं रोजगार दिलवाने का प्रयत्न करना। भारत वर्ष में पाठशालायें, छात्रावास, टेक्निकल शिक्षा संस्थान की स्थापना करना एवं करवाना।

10 समाज में प्रौढ़शिक्षा की प्रोत्साहित करना।

11 महिलाओं की उन्नति हेतू शिक्षा पर विशेष ध्यान देना और समाज में लड़कियों को शिक्षा दिलवाने का प्रयत्न करना। बच्चों व गर्भवती महिलाओं के बेहतर स्वास्थय के लिए कार्य करना। महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तशिल्प आदि प्रशिक्षण देना।

Pradeep Kumar

Gaur



Scanned by CamScanner

Registrar of Society (NW)

12 गरीब एवं जरूरत मद स्त्रियों के घरेलू जीवन का सुधारने के लिए शिक्षा व साहित्य का प्रबन्ध करना तथा पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करनके के लिए शिविरों का आयोजन करना। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की हर प्रकार से मदद करना तथा गरीब व अनाथ कन्याओं (लड़कियों) की शादियां कराने को प्रबन्ध तथा हर प्रकार से सहायता करना।

13 आर्थिक दृष्टि से कमजोर पारिवारों के बच्वों का शिक्षा दिलवाने हेतु उनकी फीस, पुस्तकें एवं अन्य सहायता प्रदान करना।

14 गरीब परिवारों के बच्चों को आठवली कक्षा, दसवी कक्षा व बारहवी कक्षा व स्नातकस्तर पर प्रथम डिविजन 60 प्रतिशत अंक लेने पर उनको प्रोत्साहन हेतू छात्रवृत्ति प्रदान करना।

15 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक कर्मचारी, कानून विशेयज्ञ आदि या मैनेजर नियुक्त करना व उनको उचित पारिश्रमिक देना।

16 सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना तथा सरकारी भागीदारी योजना के अन्तर्गत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना।

17 आम जनता के उपयोग के लिए कम्युनिटी हॉल, बारातघर, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, हैल्थकेयर सेंटर, संगीतालय, नृत्यालय, अनाथालय, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, शिशुगृह (जच्चा–बच्चा केन्द्र) वाचनालय, पुस्तकालय, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्टूडियों और रात्रि निवास आदि का निर्माण करना तथा विभिन्न सार्वजनिक सामाजिक विकास के कार्यक्रम चलाना व उनका संचालन करना।

18 संस्था के सदस्यों व आम जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतू उचित, प्रभावशाली और कानूनी कार्यवाही करना / करवाना।

Pradeep Kumar

Amended as on 22-1-2017

Registrar of Society (NW)

19 संस्था के सदस्यों व आम जनता के हितों व अधिकारों की रक्षा के लिए सम्बन्धित विभागों से पत्र व्यवहार करना व आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयों में जाना तथा सम्बन्धित अधिकारियों से मुलाकात करना।

20 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना जन की व्यवस्था समिति के सदस्यों समाज के लोगों व अन्य दानवीर तथा सरकार द्वारा अनुदान के रूप में ली जायेगी।

21 समिति के उद्देश्यों के लिए समाचार–पत्र पत्रिका आदि प्रकाशित करना।

22 लोगों को प्रर्यावरण प्रदूषण के विषय में जागरूक करना, पर्यावरण शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।

23 शिक्षा, संस्कृतिक व अन्य सामाजिक गतिविधियां के विकास के लिए विभिन्न कार्य योजना व कार्यक्रम चलाना जैसे प्रौढ़–शिक्षा निबन्ध प्रतियोगिताएं, प्रदर्शनी, जलसा, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्याक्रम, प्रेसा कांफ्रेस आदि।

Registrar of Society District North West

24 साहित्य, ला और भारतीय संस्कृति के उत्थान में निबन्ध कला व सांस्कृतिक प्रतियोतिओं का समय–समय पर आयोजन करना।

25 प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्ब या तुफान आदि के समय व्यक्तियों की चिकित्सा, भोजन, आवास, यातायात व अन्य सामग्री मुहैया कराना और हर संभव सहायता प्रदान करना।

26 संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसिा के नाम में जमीन और या भवन आदि खरीदना या किराये पर लेना देना।

27 सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना तथा सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों/कार्यक्रमों का पूरा करना। सरकार से अनुमति प्राप्त कर सभी प्रकार की शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थाना, संचालन, व्यव्था आदि करना।

Radeep Kumar

Amended as on 29/04/2019

Registrar of Society (NW)

28 समय समय पर समाज की भलाई हेतू सांस्कृतिक शैक्षिणिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

29 शिक्षा के क्षेत्र में विपेश आयाग स्थापित करने वाले मैधावी छात्रों व छात्राओं तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षाकों का सार्वजनिक सम्मान करना और उन्हें प्रशारित पत्र प्रदान करना।

30 बहुत गरीब परिवार से सम्बन्धित छात्र व छात्राओं तथा विकलांग बच्चों को मुफत या रियासती शिक्षा प्रदान करना।

31 संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में कन्याओं/महिलाओं हेतु प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा आवश्यकतानुसार महाविद्यालय तक के संस्थानों की स्थापना कर कम्प्यूटर साफ्टवेयर, हार्डवेयर तकनीकी शिक्षा तथा कम्प्यूटर एवं अन्य ज्ञान उपलब्ध कराना।

32 महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना, ब्यूटिपार्लर, ब्यूटिशियन, कताई व दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करना ।

33 महिलाओं एवं बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, नारी निकेतनों, शिल्प कला केन्द्रों, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी केन्द्रों, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों, कालीन बुनाई केन्द्रों रेडियों, घड़ी मरम्मत केन्द्रों, कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्रों अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरणों, तकनीकी शिक्षा केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

34 प्री प्राइमरी, प्राइमरी, प्ले स्कूल, सैकेंड्री व उच्च शिक्षा के शिक्षालय स्थापित करना, उन्हे हर प्रकार की मदद देना, रूग्ण शिक्षालयों का अधिग्रहण करना तथा संस्था द्वारा संचालित स्कूलों में उत्तम शिक्षा का

Pradeep Kumar



Scanned by CamScanner

Amended as on 22/[illegible]/2017

Registrar of Society (NW)

प्रचार व प्रसार करना। गरीब एवं निर्धन बच्चों हेतु आवसीय विद्यालयों की स्थापना करना एवं रख रखाव करना।

35 संस्था के नाम में सम्पत्ति खरीदना, संस्था की सम्पत्तिा की सूझबूझ के साथ देख रेख करना, आवश्यक निर्माण कराना, बेचना, गिरवी रखना व इस सम्बंध में कानून का सम्मान करते हुए आवश्यकता हो तो सम्बन्धि सरकारी विभागो से बाकायदा इजाजत लेना।

36 संस्था के उददेश्यो की पूर्ति के लिए संस्था के नाम से जमीन और या भवन आदि खरीदना या किराए पर लेना देना (सरकारी योजना के नियमानुसार)

37 संस्था द्वारा धारा 12–ए व 80–जी, एफ.सी.आर.ए. को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकरण कराना।

संस्था की चल या अचल सम्पत्ति से प्राप्त सारी आय, कनाई ज्ञापन पत्र में उल्लेखित संस्था के उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूर्णतः प्रयोग की जायेगी और लगायी जायेगी तथा इसका कोई भी लाभ संस्था के वर्तमान या निवर्तमान सदस्यों के माध्यम से दावा करने वाले किसी एक या अधिक व्यक्तियों को भुगतान नही किया जायेगा या लाभ प्राप्त नही करेगा या किसी प्रकार से संस्था का कोई भी सदस्य संस्था की चल व अचल सम्पत्ति पर कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करेगा या संस्था की सदस्यता के माध्यम से किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित नही करेगा।

Pradeep Kumar

Gaurav



Scanned by CamScanner

Amended as on 22.05.2014

Registrar of Society (NW)

4. **कार्यकारिणीः–** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधिन अपेक्षित कार्यकारणी जिसको संस्था के कार्यभार सौंपे गये है, के नाम पता एवं आदि निम्न प्रकार से है :–

| क.स. | नाम व पता | व्यवसाय | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री प्रदीप कुमार<br>पुत्र श्री जसवंत सिंह<br>निवासी मकान नं0 245, गांव पूठ कलां, दिल्ली–110086 | अध्यापक | अध्यक्ष |
| 2 | श्री राजेश कुमार<br>पुत्र श्री राम चन्द्र<br>निवासी मकान नं. 138, गांव अशरफ पुर, मटिंठू तह. खड़खोड़ा, जिला सोनिपत, हरियाणा | अध्यापक | उपाध्यक्ष |
| 3 | श्रीमती प्रदीप<br>पत्नी श्री सुशील<br>निवासी 381, गली पंडित वाली,<br>पूठ कलां गांव, दिल्ली | अध्यापक | महासचिव |
| 4 | श्री प्रिया दीप<br>पुत्र श्री दीन दयाल<br>निवासी मकान नं0 551, पूठ कलां, दिल्ली–110086 | अध्यापक | सचिव |
| 5 | श्री गौरव वत्स<br>पुत्र श्री राम निवास<br>निवासी मकान नं0 940–बी, लाल डोरा, नजदीक चावल मिल, रिठाला, दिल्ली–110085, | नौकरी | कोषाध्यक्ष |
| 6 | श्रीमती पूनम<br>पुत्री श्री नरेश कुमार<br>निवासी मकान नं0 241, पूठ कलां, दिल्ली–110086 | अध्यापक | सदस्य |
| 7 | श्री मुकेश<br>पुत्र श्री जय पाल सिंह<br>निवासी जे–1/18, बुद्ध विहार, फेस–1, दिल्ली–110086 | अध्यापक | सदस्य |

Registrar of Society District North-West

Pradeep Kumar



Bee

Gaurav

Scanned by CamScanner

Amended as on 22.1.2019

Registrar of Society (NW)

5. इच्छुक व्यक्ति :– हम अघोहस्ताक्षरित संस्था के ज्ञापन पत्र का अनुसरण मे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली मे यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन "चौ0 जसवन्त सिंह मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी", नामक संस्था के पंजीकरण के इच्छुक है :–

| क.स. | नाम व पता | व्यवसाय | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती कमला<br>निवासी 245, गांव पूठ कलां,<br>दिल्ली | गृहणी | Sd/- |
| 2 | श्रीमती मुन्नी<br>निवासी 137, गांव जट–खोड़,<br>दिल्ली | गृहणी | Sd/ |
| 3 | श्री सचिन<br>निवासी 128, मंगोल पुर खुर्द,<br>दिल्ली | व्यापार | Sd/ |
| 4 | श्री आनन्द सिंह<br>निवासी 137, गांव जट–खोड़,<br>दिल्ली | नौकरी | Sd/ |
| 5 | श्री प्रदीप कुमार<br>निवासी 245, गांव पूठ कलां,<br>दिल्ली | व्यापार | Sd/ |
| 6 | श्री सुशील कुमार<br>निवासी 381, गांव पूठ कलां,<br>दिल्ली | नौकरी | Sd/ |
| 7 | श्री योगेन्द्र कुमार<br>निवासी ए–134, बुद्ध विहार,<br>फेस–2, दिल्ली | व्यापार | Sd/ |

Registrar of Society District North-West

Pradeep Kumar

Gaurav



Scanned by CamScanner

Registrar of Society (NW)

139

# संशोधित

## संस्था के नियम व उपनियम

1. संस्था का नाम : "चौ0 जसवन्त सिंह मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी",

2. संस्था की सदस्यता :

प्रत्येक व्यस्क संस्था की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता हैं जो संस्था द्वारा आवेदन के समय प्रभावी सभी शर्तों को पूरा करने योग्य हो परन्तु संस्था की सदस्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यकारिणी कर निर्णय निर्णायक होगा।

विशेष टिप्पणी : सदस्यता प्रदान न करने की स्थिति में कार्यकारिणी के निर्णय की सूचना सम्बन्धित आवेदनकर्ता को देना अनिवार्य होगी।

Registrar of Society District North-West

3. सदस्यता :

सदस्यों से लिया जाने वाला सदस्यता शुल्क व चन्दा समय-समय पर संस्था की कार्यकारिणी सभा में तय किया जायेगा और वर्तमान में यह निम्नानुसार है :-

अ) सदस्यता शुल्क 100/- रूपये प्रत्येक सदस्य को प्रवेश के समय देना होगा।

ब) प्रत्येक सदस्य 20/- रूपये प्रति माह चन्दे के रूप में नियमित रूप से जमा कराना होगा।

4. संस्था की सदस्यता से निष्कासन/निलम्बन :

अ) सदस्य की मृत्यु होने पर ।

ब) संस्था की सदस्यता से स्वंय लिखित त्याग-पत्र देने पर।

स) असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर।

द) किसी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिये जाने पर ।

Pradeep Kumar



Scanned by CamScanner

Amended as on 22/09/2012

Registrar of Society (NW)

य) संस्था के उद्देश्यों के खिलाफ प्रचार करने का दोषी होने पर।

र) कार्यकारिणी के निर्णयों की उपेक्षा या अवहेलना करने पर।

ल) संस्था की लगातार तीन सभाओं में अनुपरिथत होने पर।

च) कार्यकारिणी के निर्णेयों की उपेक्षा या अवहेलना करने पर!

**विशेष टिप्पणी** : संस्था की सदस्यता से निष्कारिसत/निलम्बन किये जाने की सूचना सम्बन्धित सदस्यों को दी जायेगी।

5. **आभार सदस्य** : संस्था की पहली कार्यकारिणी सभा के सदस्य/पदाधिकारी संस्था के आधार सदस्य कहलायेंगे।

6. **संस्था का/के संरक्षक** : कार्यकारिणी सभा समय समय पर संस्था का संरक्षक नियुक्त कर सकती है।

7. **संस्था सभा परिभाषित** : संस्था के सभी सदस्य मिलकर संस्था की साधारण सभा या आम सभा कहते है।

8. **साधारण सभा** :

1. सूचना : प्रत्येक साधारण सभा के लिए सभा की तिथि, समय, स्थान और सभा के दौरान चर्चा किये जाने वाले विषयों की सूचना संस्था के साधारण सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

2. साधारण सभा की अवधिता एवं गणपूर्ति :– संस्था की साधारण की बैठक नियमित रूप से एक साल में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी तथा इसकी गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई (2/3) होगी।

Pradeep Kumar  Gaurav



Scanned by CamScanner

Amended as on 22/09/2017

Registrar of Society (NW)

9. सदस्यों के अधिकार :

1. संस्था के सभी सदस्य संस्था द्वारा आयोजित सभी प्रकार के सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रमों, सभाओं तथा अन्य न्यायोचित आयोजनों में भाग ले सकेंगे।

2. संस्था के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके अपना परिचय–पत्र प्राप्त कर सकेगा।

10. सदस्यों के कर्तव्य :

1. कार्यकारिणी का चुनाव करना।
2. साधारण सभा में नियमित रूप से उपस्थित होना।
3. संस्था को समय समय पर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।
4. ऐसे किसी भी कार्यक्रम या आयोजन में भाग न लेना जो संस्था के उद्देश्योंऔर अथवा नियम एवं उपनियमों के खिलाफ हों।

Registrar of Society District North-West

11. कार्यकारिणी :

1. विस्तार–कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों की कुल संख्या सदैव कम से कम 5 और अधिक से अधिक 21 होगी।

2. कार्यकाल प्रत्येक कार्यकारिणी का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

3. सभा सूचना कार्यकारिणी की सभा सूचना तिथि, समय, स्थान और चर्चा किये जाने वाले विषयों के विवरण के साथ सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को सात दिन पूर्व दी जायेगी।

4. गणपूर्ति प्रत्येक संस्था की कार्यकारिणी सभा के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई होगा।

Pradeep Kumar

Yasser



Scanned by CamScanner

5. कार्यकारिणी सभा संस्था की कार्यकारिणी सभा नियमित रूप से प्रत्येक तीन माह के अंतराल से अथवा आवश्यकता पडने पर बुलाई जायेगी।

6. आपात कालीन सभा आपातकालीन कार्यकारिणी सभा चौबीस घंटे की अल्प सूचना से बुलाई जा सकेगी परन्तु इसके लिए गणपूर्ति एक तिहाई होगी।

12. **कार्यकारिणी के कार्य एवं अधिकार :**

1. इस संस्था के ज्ञापन–पत्र में वर्णित समस्त उद्देश्य तथा कार्यकारिणी में मंजूर किये गये प्रस्ताव–पत्र में वर्णित समस्त उद्देश्य तथा कार्यकारिणी में मंजूर किये गये प्रस्ताव ही संस्था के कार्य होंगे।
2. कार्यकारिणी के सभी निर्णय बहुमत के आधार पर तय किये जायेंगे।
3. संस्था के समस्त कार्य संस्था की कार्यकारिणी की देखरेख में सम्पन्न होंगे तथा किसी कार्य विशेष की सम्पूर्ण जिम्मेदारी किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य को सौंपी जा सकती है।
4. योजना व भावी कार्यक्रम तैयार करना।
5. चुनाव अधिकारी का चुनाव करना व चुनाव अधिकारी के अधिकार तय करना।
6. संस्था के कार्यकारिणी सदस्यों को यह अधिकार है कि संस्था द्वारा संचालित किसी भी स्कूल शैक्षिक संस्थान की प्रबन्धक समीति / अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रबन्धक के सदस्यों को मनोनीत करना।

13. **कार्यकारिणी का स्वरूप :**

संस्था की कार्यकारिणी का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. अध्यक्ष | – | एक |
| 2. उपाध्यक्ष | – | एक |
| 3. महासचिव | – | एक |
| 4. सचिव | – | एक |
| 5. कोषाध्यक्ष | – | एक |
| 6. कार्यकारिणी सदस्य | – | दो से सौलह तक |



Scanned by CamScanner

Amended as on 29/08/2012

Registrar of Society (NW)

14. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :–

क) अध्यक्ष :–

1. कार्यकारिणी सभा व साधारण सभा की अध्यक्षता करना।
2. किसी विषय पर चर्चा के दौरान दि समर्थन व विरोध में पड़े मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत डालने का अधिकार होगा।
3. कार्यकारिणी अथवा साधारण सभा की कार्यकारिणी के दौरान नये प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करना।
4. संस्था द्वारा किये जाने वो किसी भी पत्र व्यवहार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना।

ख) उपाध्यक्ष :–

1. संस्था का एक उपाध्यक्ष होगा जो कि संस्था के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

ग) महासचिव :–

1. संस्था की कार्यकारिणी सभा और साधारण सभा के लिए सूचना जारी करने का अधिकार महासचिव को होगा।
2. संस्था की कार्यवाही से सम्बन्धित रजिस्टर पर कार्यवाही लिखना व अन्य दस्तावेज तैयार करना व करवाना।
3. कार्यलयों डाक को देखना ।
4. कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर सदस्यों का पंजीकरण करना।

घ) सचिव :–

1. संस्था का एक सचिव होगा जो कि संस्था के महासचिव की अनुपस्थित में उनके समस्त कार्यकारिणी व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा।

Pradeep Kumar



Scanned by CamScanner

Amended as on 22/09/2017

Registrar of Society (NW)

ड़) कोषाध्यक्ष :–

1. संस्था की सभी आय और व्यय का ब्यौरा सुचारू रूप से रखने का अधिकार संस्था के कोषाध्यक्ष के नियंत्रण में होगा।
2. संस्था की सभी आय–व्यय का लेखा–जोखा व्यस्थित तरीके से रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होगी।
3. कार्यकारिणी के अनुसार संस्था के धन को खर्च करेगा।
4. सदस्यता शुल्क व चन्दा एकत्रित करना।

15. पुनः प्रवेश :–

यदि किसी सदस्य को चंदा न जमा करने के आधार पर संस्था की सदस्यता से निलम्बित कर दिया गया हो तो उसे संस्था की कार्यकारिणी के निर्णय के उपरान्त पुनः सदस्यता प्रदान की जा सकती है, किन्तु उसे सदस्यता को बहाली की तिथि तक का पूर्ण चन्दा जमा करना होगा।

Registrar of Society District North West

16. अपील :

संस्था से सम्बन्धित सभी प्रकार की अपील साधारण सभा में की जायेगी तथा साधारण सभा का निर्णय अन्तिम होगा।

17. रिक्त स्थानों की पूर्ति

संस्था की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों या कार्यकारिणी सदस्यों में हुई रिक्तता कार्यकारिणी सभा में बहुमत के आधार से पूर्ण की जायेगी। इस प्रकार की गई रिक्तपूर्ति को आगामी साधारण सभा में विचारणार्थ रखना अनिवार्य होगा।

18. चुनाव :

वार्षिक साधारण सभा प्रत्येक पाचं वर्ष के अन्तराल पर कार्यकारिणी के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी सदस्यों का हाथ उठाकर या गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा।

Pradeep Kumar



Scanned by CamScanner

Amended as on 29/06/2017

Registrar of Society (NW)

19. आय के स्त्रोत :

संस्था की समस्त आय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में ही खर्च की जायेगी। आय के स्त्रोत निम्न होंगे :

1. सदस्यता शुल्क
2. मासिक चन्दा, दान तथा विशेष अनुदान आदि।

20. वित्तीय वर्ष :
संस्था का वित्तीय वर्ष एक अप्रेल से इक्कतीस मार्च तक होगा।

21. लेखा परीक्षण :
प्रतिवर्ष नियमित रूप से किसी आधिकारिक लेखा परीक्षक द्वारा संस्था का लेखा परीक्षण करवाया जायेगा।

22. धन की व्यवस्था व बैंक खातों का संचालन :
संस्था में विभिन्न स्त्रोतों से हुई आय को संस्था में तय किये गये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराया जायेगा। बैंक खाते/खातों का संचालन कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष व महासचिव में से किसी एक के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा किया जायेगा।

23. उपसमिति/शाखा :
कार्यकारिणी सभा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शाखा या उपसमितियों का गठन करेगी।

24. सलाहकार बोर्ड :
कार्यकारिणी तथा किसी भी समय किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करने के लिए अधिकृत है। कार्यकारिणी सभा किसी भी पदाधिकारी या कार्यकारिणी सदस्य को इस सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष/प्रधान नियुक्त कर सकती है।



Scanned by CamScanner